

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नामौर) PK

(पीठारसीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत.....**मीठरा**.....)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **ठिकारीमांडुर्वी** व भू.अ.नि. **देवली छत्तप** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार **श्रीमान** की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् **2023-24** में खाता संख्या.....**6**..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ठिकारीमांडुर्वी	6	राजकुमार S/O गोपाल दि. 1/30 द्वाहमण	राजेश कुमार S/O गोपाल दि. 1/30 द्वाहमण

PK
पीठारसीन अधिकारी
लोक अदालत / केम्प कोर्ट
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डाडवाना-कुचामण)
दिनांक :-

क्रमांक / प्र.गा.के.स. / 2025 / PDU / 21
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री **राजेश कुमार S/O गोपाल - द्वाहमण** को सूचनाार्थ।

PK
पीठारसीन अधिकारी
लोक अदालत / केम्प कोर्ट
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डाडवाना-कुचामण) PK

26/6/25